	पत्रावली पेश ... हुई ... पक्ष ... दिनांक ... 18
10/1/18	... उपस्थित P. ... नकल ... पत्रावली ... दिनांक 14/2/18 का पेश हो।
14-2-18	... प्रतिवादी उपस्थित P. ... पत्रावली ... दिनांक 21/2/18 का पेश हो।
21/2/18	... प्रतिवादी उपस्थित P. ... पत्रावली ... दिनांक 26/2/18 का पेश हो।
26/2/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० वकील फरीकान की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पुनर्विचार दिनांक 8/9/17 को पेश किया गया तथा दिनांक 26/8/2017 को जवा तत्पवाना अभाव मे खारिज किया गया था के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 09 R9 CPC दिनांक 6/7/17 जिसे मन्दर मियाद मानते हुए दिनांक 11/7/17 को स्वीकार किया गया था के विरुद्ध यह पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा निवेदन किया कि प्रार्थना 09 R9 CPC 30 अवधि के पश्चात पेश किया गया है जो सम्बन्धित कानून के विपरित है साथ ही यह भी निवेदन किया कि वादी के प्रार्थना पत्र 09 R 9 CPC पर वकील प्रतिवादी को कोई

(रवि विजय)
राजस्व खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

SDO शाहपुरा
23/12

दि.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/3/18	नोटिस व सूचना तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि वकील प्रतिवादी 10/10/16 को न्यायालय में उपस्थित हो गये थे। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पुनर्विचार के अन्त में निवेदन किया कि आदेश दिनांक 11/7/17 को प्रार्थना पत्र 09R9 CPC पर पारित किये गये आदेश को अपास्त किया जाना न्यायसंगत है। वकील वादी ने उक्त प्रा. पत्र के जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि दिनांक 26/5/17 को पारित किये गये आदेश की जानकारी दिनांक 28/6/17 को होने पर दिया किसी देरी के प्रार्थना पत्र 09R9CPC अन्दर समयावधि प्रस्तुत किया गया है। वकील वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पुनर्विचार में अवगत करवाया कि वकील प्रतिवादी सं. 1 की तामील हुयी है तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया है। वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व दस्तावेजात की नकल वकील प्रतिवादी सं. 1 को उपलब्ध करवाई गई है साथ ही यह भी जवाब प्रार्थना पत्र पुनर्विचार में उल्लेख किया है कि प्रार्थना पत्र पुनर्विचार किस आदेश व नियम धारा में पेश किया गया है उल्लेखित नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया वादी द्वारा पेश वाद पत्र रेन्य कोर्ट बाडीजीरी के दिनांक 26/5/17 को तलबी के अभाव में खारिज किया गया है तथा वादी को उक्त आदेश की जानकारी 28/6/17 को होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है तथा न ही यह उल्लेख किया है कि दिनांक 28/6/17 को किस प्रकार से जानकारी हुई है, जबकि वादी को अपने वाद के प्रति सजग रहना चाहिये साथ ही वादी द्वारा प्रतिवादीगणों की तलबी के प्रमाण भी नहीं किये गये जिससे यह ही प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा वाद को चलाने में कोई रुचि नहीं	

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

फर्द अहकाम

दशरथ सिंह **बनाम** गिरधारी सिंह

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या 33/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/2/18	होना प्रकट होता है चूंकि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र 09 R9 CPC दिनांक 6/7/17 को न्यायालय मे पेश किया है जो आदेश दिनांक 26/5/17 से 30 दिवस पश्चात है तथा दिनांक 6/7/17 को वादी के पक्ष मे प्रार्थना पत्र 09 R9 CPC पर प्रतिवादीगण को कोई नोटिस जारी नही किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया है। जबकि 30 दिवस पश्चात वाद को विधिवत पक्षकारान के सूचित होने पर सुनवाई की जाकर कार्यवाही होनी चाहिए थी। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र पुनर्विचार दिनांक 8/9/17 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांक 11/7/17 को अपास्त किया जाकर वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/2/18 को सुनाया गया। (रवि विजय) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)